उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या- 96/2021/903/22-4-2021-48(5)/03

लखनऊ : दिनांक- 10 सितम्बर, 2021

आदेश

अधिसूचना

कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1894) की धारा-3 के खण्ड(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देती हैं कि जिला कारागार, संतकबीरनगर की प्रसीमा, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, का स्थायी रूप से उपयोग बंदियों को निरूद्ध करने और उनका सुधार करने के लिए कारागार के रूप में किया जायेगा।

अनुसूची

जिला कारागार, संतकबीरनगर की सीमाएं

दिशा	गाटा संख्या	ग्राम का नाम	विवरण
पूरब	-	अनई	नाला एवं ग्राम-अनई की सीमा
पश्चिम	गाटा सं0- 539मि0, 440,427,445मि0, 468मि0, 467मि0, 465मि0, 460मि0, 461मि0, 503,521मि0, 524मि0, 530मि0	बनकटिया	रामसूरत आदि की कृषि भूमि एवं ग्राम-बनकटिया की सीमा
उत्तर	-	जंगलकलॉ	नाला एवं ग्राम-जगॅलकलॉ की सीमा
दक्षिण	गाटा सं0 531,532,527,528,515मि0, 514मि0, 513मि0, 508मि, 505मि0	बनकटिया	कौशल सिंह आदि की कृषि भूमि एवं ग्राम-बनकटिया की सीमा

अवनीश कुमार अवस्थी

अपर मुख्य सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-96 /2021/903(1)/22-4-2021-48(5)/03-तददिनांक-

अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, बस्ती।

(4) जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।

(5) पुलिस उप महानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती।

(6) पुलिस अधीक्षक, संतकबीरनगर।

(7) उप महानिरीक्षक, कारागार गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर।

(8) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 गजट प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(9) नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

(10) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

(11) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के सूचनार्थ।

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Karagar Prashasan Evam Sudhar Anubhag-4

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-96/2021/903/22-4-2021-48(5)/03, Dated- 10 September, 2021

ORDER

NOTIFICATION
No-96/2021/903/22-4-2021-48(5)/03
Lucknow, Dated- 10 September, 2021

In exercise of the powers under clause (1) of section-3 of the Prisons Act 1894 (Act no-9 of 1894), the Governor is pleased to order that the precinct of the District Prison Santkabir Nagar whose boundaries are specified in the Schedule below shall be used permanently as Prison for the detention and reformation of prisoners.

SCHEDULE

Boundaries of the the District Prison, Santkabir Nagar

Direction	Gata Number	Name of Village	Remarks
East	-	Anai	Nala & Boundary of Village Anai
West	Gata No. 539fe0] 440] 427fe0] 445fe0] 468fe0] 467fe0] 465fe0] 460fe0] 461fe0] 503] 521fe0] 524fe0] 530fe0	Bunkatiya	Agriculture Land of Ram Surat etc & Boundary of Village Bunkatiya
North	-	Jangalakala	Nala & Boundary of Village Jangalakala
South	Gata No. 531] 532] 527]528] 515fe0] 514fe0] 513fe0] 508fe0] 505fe0]	Bunkatiya	Agriculture Land of Kaushal Singh etc. and Boundary of Village Bunkatiya

Awanish Kumar Awasthi
Additional Chief Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।